



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 424 राँची, शुक्रवार,

24 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 जुलाई, 2026

संख्या-5/आरोप-1-63/2022-37442 (HRMS)—मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-498/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हो, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4494, दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1797/स्था०, दिनांक 16.12.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में मो० हसनात के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. मो० जफर हसनात, अंचल अधिकारी, चान्हो जिला राँची दिनांक 02.03.2021 से अंचल कार्यालय चान्हों में पदस्थापित हैं। श्रीमती दुर्गा देवी निवासी, रानीचाचो, थाना-चान्हो, जिला-राँची द्वारा चान्हों अंचल अंतर्गत मौजा-रानीचाचो थाना नं०-86 खाता नं०-143 प्लॉट संख्या-1159 कुल रकबा-35ए० कपट पूर्ण तरीके से क्रय की गई भूमि के विक्रय दस्तावेज को रद्द करने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अपर समाहर्ता, राँची द्वारा पत्रांक-3018, दिनांक 06.08.2021, पत्रांक-149/12.01.2022, पत्रांक-722/07.02.2022, पत्रांक-2370/26.04.2022, पत्रांक-2410/05.05.2022, पत्रांक-2473/18.05.2022, पत्रांक-2546/03.06.2022 से प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण की माँग की गयी। बार-बार स्मारित किये जाने के बावजूद भी तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया जाना स्पष्टतः इनका उक्त कृत्य आदेश की अवहेलना के साथ अपने कर्तव्य के पति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

2. मो० जफर हसनात, अंचल अधिकारी, चान्हो जिला राँची का उक्त आचरण प्रथम द्रष्टया पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

मो० हसनात के विरुद्ध गठित आरोपों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-18774(HRMS), दिनांक 29.12.2022 द्वारा इनको निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-8308, दिनांक 30.12.2022 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई।

मो० हसनात के आवेदन दिनांक 27.01.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० हसनात के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-832, दिनांक 04.02.2023 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-255, दिनांक 24.04.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

मो० सहनात के विरुद्ध गठित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-22478(HRMS), दिनांक 19.07.2023 द्वारा मो० सहनात के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

मो० हसनात से निलंबन से मुक्त करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-25353(HRMS), दिनांक 14.12.2023 द्वारा मो० हसनात को निलंबन मुक्त किया गया।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-429, दिनांक 11.09.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत मो० हसनात के विरुद्ध गठित आरोपों की पुनः जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-791, दिनांक 12.02.2026 द्वारा श्री अरूण वाल्टर संग, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख को श्री संग को वापस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

श्री संग, विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-104, दिनांक 20.04.2026 द्वारा मो० हसनात के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का पुर्नजाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। समर्पित पुर्नजाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

मो० हसनात के विरुद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष से सहमत होते हुए मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-498/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हो, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. JAFAR HASNAT JHK/JAS/312	विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष से सहमत होते हुए मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-498/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हो, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
